



सरकार को 100 शैक्षणिक संस्थानों से विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय दर्जा के लिए आवेदन मिले

Posted On: 12 DEC 2017 11:28AM by PIB Delhi

केंद्र सरकार ने 10 सार्वजनिक और निजी संस्थानों को विश्व स्तर पर श्रेष्ठ 100 संस्थानों की श्रेणी में सम्मिलित करने के लिए नियामक ढांचे को अनुमति प्रदान की है। इनमें नए स्थापित संस्थान और वर्तमान संस्थानों का उच्चीकरण सम्मिलित है और इसके अनुरूप 12 दिसंबर, 2017 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके लिए देश भर से कुल सौ आवेदन प्राप्त हुए। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत दस केंद्रीय विश्वविद्यालय, पच्चीस राज्य विश्वविद्यालय, छह मानद विश्वविद्यालय, बीस राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और छह अन्य संस्थान सम्मिलित हैं। निजी क्षेत्र के अंतर्गत नौ निजी विश्वविद्यालयों और सोलह मानद विश्वविद्यालयों ने ब्राउनफील्ड श्रेणी और आठ संस्थानों ने ग्रीनफील्ड श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया।

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस संबंध में कहा कि विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनने वाले श्रेष्ठ संस्थानों के प्रस्ताव को जबरदस्त समर्थन मिलना देश में उच्च शिक्षा के स्तर सुधारने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को ओर सशक्त करता है।

श्री जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा जगत से जुड़े सभी लोग इस घटनाक्रम का स्वागत करेंगे। विश्व के कई देशों में इस प्रकार से विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों का सृजन हुआ है और अब देश में भी ऐसा ही हो रहा है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि श्रेष्ठ संस्थानों के चयन न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि इससे संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र प्रतियोगिता के लिए प्रेरित होगा।

इस उद्देश्य के लिए गठित सशक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा चयन चुनौती प्रक्रिया से किया जाएगा। चयनित बीस संस्थानों का नाम “श्रेष्ठ संस्थान” रखा जाएगा और इन्हें विश्व स्तरीय संस्थान बनने के लिए अपनी कार्यप्रणाली चुनने की स्वतंत्रता होगी। इस संस्थानों को कई क्षेत्रों में अधिक स्वायत्ता प्रदान की जाएगी। इसमें कुल प्रवेश दिए गए छात्रों में से 30 प्रतिशत तक विदेशी छात्रों को प्रवेश देना, कुल शैक्षणिक पदों में 25 प्रतिशत तक विदेशी अध्यापक, कुल कार्यक्रमों के 20 प्रतिशत तक आनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना, यूजीसी की अनुमति के बिना विश्व स्तर पर श्रेष्ठ पांच सौ संस्थानों के साथ शैक्षणिक गठबंधन करना, बिना किसी बाधा के विदेशी छात्रों से शुल्क निर्धारित करना, क्रेडिट घंटों के संबंध में पाठ्यक्रम के ढांचे को और डिग्री प्राप्त करने के लिए अवधि को लचीला रखना और पाठ्यक्रम आदि निर्धारित करने में पूर्ण स्वतंत्रता सम्मिलित है।

इस योजना से भारतीय छात्रों को देश में ही विश्वस्तरीय शिक्षा और अनुसंधान सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

वीके/एम/एजे-5842

(Release ID: 1512427) Visitor Counter : 90

